



सत्यमेव जयते

# रोजगार समाचार

साप्ताहिक

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित  
(वार्षिक शुल्क : ₹ 350)www.rojgarsamachar.gov.in  
www.employmentnews.gov.in

खण्ड 37 अंक 36 पृष्ठ 64

नई दिल्ली 8-14 दिसंबर 2012

₹ 8.00

## रोजगार सारांश

### भारतीय जीवन बीमा निगम

● भारतीय जीवन बीमा निगम को लगभग 5201 प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की आवश्यकता।  
अंतिम तारीख 22.12.2012

### के. रि. पु. ब.

● केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 895 सहायक सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) और हेड-कांस्टेबल (मंत्रालयीय) की आवश्यकता।  
अंतिम तारीख: 19.12.2012

### बैंक

● श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ में अधिकारी स्केल-III, अधिकारी स्केल-II, अधिकारी स्केल-I और कार्यालय सहायक (बहुउद्देश्यीय) के लगभग 112 पद भरे जाने हैं।  
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए  
अंतिम तारीख 22.12.2012

### अति विस्फोटक निर्माणी

● अति विस्फोटक निर्माणी खड़की में सीपीडब्ल्यू (एसएस), इलेक्ट्रिशियन (एसएस), बायलर अटेंडेंट (एसएस) और वेल्डर (एसएस) के 80 पद रिक्त।  
अंतिम तारीख: विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन।

### एसएसआरबी

● कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत भर्ती हेतु वैज्ञानिकों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित।  
अंतिम तारीख: 26.12.2012.

### सं.लो.से.आ.

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित।  
अंतिम तारीख: 27.12.2012.

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें।

### अशक्त व्यक्तियों के लिए नया कॉलम

सामाजिक और आर्थिक समावेशन सार्थक विकास की कुंजी है। लोकतंत्र का बुनियादी संदेश समग्रता है। अपनी स्थापना के बाद से रोजगार समाचार अशक्त व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए रोजगार के समान अवसरों का प्रसार करने पर ध्यान केन्द्रित करता रहा है। हाल के वर्षों में अधिक से अधिक उद्योगों और सेवाओं ने यह महसूस किया है कि योग्य अशक्त व्यक्ति बहुमूल्य मानव संसाधन हैं। समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की अब और अनदेखी नहीं की जा सकती। अनेक क्षेत्रों से रोजगार समाचार को ऐसे अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं कि अशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रकाशित की जाए।

रोजगार समाचार जनवरी 2013 से "हुनर से रोजगार" नाम का नया कॉलम शुरू कर रहा है और इस पहलू पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इस कॉलम में वैकल्पिक माह के दौरान रोजगार के अवसरों और कौशल उन्नयन पर प्रकाश डाला जाएगा। अपने ग्राहकों और पाठकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में यह रोजगार समाचार का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

-मुख्य संपादक

## मत्स्य-पालन और जलकृषि में रोजगार के अवसर

— डाक्टर डी. सुकुमार

मछली धरती पर सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है। इसलिए मछली-उत्पादन में बढ़ोतरी की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। भारत में समुद्री और अंतर्देशीय नदी-तालाबों में विशाल संसाधनों एवं व्यापक क्षमता को देखते हुए प्रशिक्षित कार्मिकों का विकास अनिवार्य है, ताकि मछली-उत्पादन में स्थायित्व लाने और उनके युक्तिसंगत उपयोग के लिए मत्स्य संसाधनों का कारगर प्रबंधन किया जा सके।

भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो भूमध्यरेखा के उत्तर में 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तर और 68.71 डिग्री से 97.25 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। भारत की तटरेखा अत्यन्त विस्तृत है जो 8118 कि.मी. लम्बी है और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजैड) 23,05,143 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारतीय मत्स्य उद्योग और जलकृषि खाद्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो भोजन में पोषण सुरक्षा प्रदान करता है और कृषि निर्यात में योगदान करता है। मछली-उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में तीसरा, जलकृषि मछली-उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा, नदी-तालाबों में मछली पैदा करने की दृष्टि से तीसरा और फार्म झींगा उत्पादन में चौथा स्थान है। यह क्षेत्र करीब 1 करोड़ 47 लाख लोगों को मत्स्य-पालन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में आजीविका प्रदान करता है। देश में गहरे सागर से लेकर पर्वतीय झीलों तक विविध प्रकार के मत्स्य संसाधन विद्यमान हैं। मछली और खोलदार मछली प्रजातियों की दृष्टि से विश्व की जैव-विविधता में 10 प्रतिशत से अधिक योगदान भारत का है। इन सब विशेषताओं की बदौलत स्वतंत्रता के बाद से देश के मत्स्य-उत्पादन में निरंतर और स्थायी बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

मत्स्य-पालन के विकास की भारत की भावी योजनाओं का लक्ष्य खाद्य उत्पादन को दुगुना करने में महत्वपूर्ण योगदान करना, मछुवारों के कल्याण के उपायों को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण आबादी को खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और परम्परागत कृषि में रोजगार के अवसरों पर दबाव को देखते हुए मत्स्य-पालन और जलकृषि विश्व भर में करोड़ों लोगों के लिए आमदनी और आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यह क्षेत्र गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करता है। दुनिया में डेढ़ अरब से अधिक लोगों को पशुओं से मिलने वाले प्रति व्यक्ति औसत प्रोटीन का 20 प्रतिशत हिस्सा और 3.0 अरब लोगों को 15 प्रतिशत हिस्सा मछलियों से मिलता है।

विश्व में मछली खाने वाली आबादी (56 प्रतिशत) के लिए प्रति व्यक्ति मछली की वार्षिक उपलब्धता और खपत वर्तमान में 9 कि.ग्रा. है, जिसे बढ़ाकर 11 कि.ग्रा करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि मत्स्य उत्पादन और वितरण में वृद्धि की जाये। विश्व के मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत है और मत्स्य क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में करीब 35,650 करोड़ रुपये का योगदान है (जो जीडीपी का 1.3 प्रतिशत

और कृषि जीडीपी का 4.7 प्रतिशत है)। वर्ष 2011-12 के दौरान देश का कुल मछली उत्पादन 80.3 लाख मीट्रिक टन (अर्न्तम) है, जिसमें अकेले नदी-तालाब क्षेत्र का उत्पादन 50.7 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो कुल मछली-उत्पादन का 63 प्रतिशत है, जबकि समुद्री क्षेत्र से मछली-उत्पादन 29.60 लाख मीट्रिक टन रहा है। मत्स्य क्षेत्र निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में प्रमुख योगदान करने वाले क्षेत्रों में से एक है। मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्षों के दौरान कई गुणा बढ़ोतरी हुई है। 1961-62 में 15,700 टन निर्यात हुआ, जिसका मूल्य मात्र 3.92 करोड़ रुपये था, जो 2010-11 में बढ़कर 8,13,091 टन हो गया, जिसका मूल्य 12,901.47 करोड़ रुपये है। इसमें मात्रा की दृष्टि से 12.54 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 16.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। देश के कुल निर्यात में समुद्री उत्पादों का योगदान 1.4 प्रतिशत है, जबकि दुनिया के समुद्री खाद्य निर्यात व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2.58 प्रतिशत है।

देश में मछली प्रसंस्करण उद्योग भली-भांति विकसित है। करीब 625 पंजीकृत निर्यातक हैं। मछली पकड़ने परवर्ती बुनियादी सुविधाओं में यूरोपीय संघ से अनुमोदित 236 प्रसंस्करण संयंत्र और 33 विशेष प्रशीतन भंडार केन्द्र (केवल मछली और मत्स्य उत्पादों के भंडारण के लिए) हैं।

10,700 टन प्रतिदिन की कुल संस्थापित प्रशीतन क्षमता का पूर्ण उपयोग केवल मछली पकड़ने के व्यस्त मौसम के दौरान ही हो पाता है। मौजूदा उत्पादन 3,78,000 टन प्रति वर्ष है। निर्यात आय में श्रिम्प अर्थात् झींगी का योगदान 65-70 प्रतिशत है। भारत में करीब 11,800 पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य-पालन समितियां हैं, जिनके लाभार्थी सदस्यों की संख्या 19,17,300 है। समुद्री मत्स्य-पालन के विस्तार के लिए 62 लघु मत्स्य बंदरगाहों और 190 मछली उतराई केन्द्रों के निर्माण का काम विभिन्न तटवर्ती राज्यों/संघशासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। परम्परागत मछुवारों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सक्रिय मछुवारों के लिए समूह बीमा योजना और आदर्श मछुवारा गांवों का विकास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने के मौसम के इतर समय के दौरान मछुवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बचत-एवं-राहत योजना और बचत-एवं-घटक वित्तीय सहायता योजना चलाई गई हैं।

झींगा-पालन के लिए देश के विस्तृत खारा जल-क्षेत्रों को इस्तेमाल में लाने के लिए 2007-08 तक 39 खारा जल क्षेत्रों के जरिए करीब 30,889 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया। देश के तटवर्ती क्षेत्रों में मछली किसान विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। इन एजेंसियों द्वारा 2007-08 तक 31,624 मछुवारों को झींगा पालन की उन्नत पद्धतियों का प्रशिक्षण भी दिया गया। कुल मिलाकर करीब 12 लाख हेक्टेयर खारा जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से करीब 14 प्रतिशत क्षेत्र झींगा की खेती के अंतर्गत लाया जा चुका है। झींगा खेती की परम्परागत और वैज्ञानिक दोनों तरह की पद्धतियां अपनायी जा रही हैं, जिनकी पैदावार 300 से 1000 कि.ग्रा./हेक्टेयर/वर्ष के बीच रहती है। झींगा खेती प्रमुख रूप से एक लघु पालन कृषि पद्धति है, जिसमें 91 प्रतिशत किसानों के पास केवल 2 हेक्टेयर जल क्षेत्र है जबकि अन्य 6 प्रतिशत किसानों के पास 2.5 हेक्टेयर जल क्षेत्र है। उच्च वाणिज्यिक मूल्य को देखते हुए 2009 तक जेन्ट टाइगर प्रॉन की खेती सबसे अधिक की गई और दूसरा स्थान इंडियन व्हॉइट प्रॉन का रहा है।

देश में करीब 260 झींगा अंडज उत्पत्तिशालाएं (श्रिम्प हैचरीज) हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 11 अरब श्रिम्प लारवा पैदा करने की है। इनमें से 200 उत्पत्तिशालाएं ऐसी हैं जिनका उत्पादन 7 अरब श्रिम्प लारवा का है। इस क्षेत्र में 33 फीड मिलें हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 1,50,000 टन प्रति वर्ष की है। यह क्षेत्र करीब तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है जबकि अनुषंगी गतिविधियों में 6-7 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। देश के तटवर्ती क्षेत्रों में बाइवैल्क्स यानी सीपियों और सी-वीड्स यानी समुद्री शैवालों की खेती की संतुलित शुरुआत हुई है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार गहरे समुद्र से मछली-उत्पादन और प्रमुख मछली बंदरगाह, मत्स्य पोत उद्योग, सीफूड यानी समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात पालन और समुद्री एवं अंतर्देशीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जैसे विषय भारत सरकार के नियंत्रण में आते हैं। इसलिए भारतीय संसद को इनमें से किसी भी विषय पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कई राष्ट्रीय संगठनों और केन्द्रीय संस्थानों आदि की स्थापना की है। मत्स्य-पालन क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा हालांकि केन्द्र सरकार के अंतर्गत आता है,

(शेष पृष्ठ 64 पर)

### भारतीय मत्स्य उद्योग - एक नजर

- भारत का विश्व के कुल मछली-उत्पादन में दूसरा स्थान है और उसका योगदान 5.54 प्रतिशत है।
- समुद्री उत्पादों का निर्यात 2011-12 में बढ़कर 8,57,013 टन पर पहुंच गया, जिसका मूल्य रु. 16,501 करोड़/2.857 अरब अमरीकी डॉलर है।
- भारत में मछली-उत्पादन 2011-12 में 8.44 मीट्रिक टन रहा (समुद्री उत्पादन: 3.22 मीट्रिक टन, नदी तालाब क्षेत्र: 5.22 मीट्रिक टन)।
- सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र से घटक लागत पर 5.41 प्रतिशत है।
- विभिन्न मत्स्य गतिविधियों में लगे लोग-144.9 लाख।
- समुद्री मछली बेड़ा-2.44 लाख, जिसमें से 44.05 प्रतिशत परम्परागत और 31.46 प्रतिशत मोटरयुक्त परम्परागत पोत हैं।

### भारत में मत्स्य-पालन संसाधन-एक नजर समुद्री संसाधन और मत्स्य संबंधी आंकड़े

|  |         |
|--|---------|
| तटरेखा (किलोमीटर)                              | 8118    |
| विशेष आर्थिक जोन (10 लाख कि.मी. <sup>2</sup> ) | 2.02    |
| कटिनेंटल शेल्फ (6000 कि.मी. <sup>2</sup> )     | 530     |
| मछली उतराई केन्द्र (संख्या)                    | 1376    |
| मछली बंदरगाह (संख्या)                          | 14      |
| मछुवारा गांव (संख्या)                          | 3322    |
| मछुवारा परिवार (संख्या)                        | 764868  |
| मछुवारा समुदाय की आबादी (संख्या)               | 3574704 |

### नदी तालाब संसाधन

|  |        |
|--|--------|
| नदियां और नहरें (कि. मी.)                      | 195210 |
| जलाशय (लाख हेक्टेयर)                           | 31.5   |
| तालाब और सरोवर (लाख हेक्टेयर)                  | 24.14  |
| बाढ़ मैदान/अनियमित जल निकास (लाख हेक्टेयर)     | 8-12   |
| खारा जल (लाख हेक्टेयर)                         | 12.40  |
| अम्लीय/क्षारीय प्रभावित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) | 12.00  |

रोजगार समाचार की संपादकीय टीम द्वारा संकलित



**मत्स्य-पालन और जलकृषि...**

**(पेज 1 का शेष)**  
 फिर भी, नदी-तालाबों में मछली-पालन, जलकृषि और प्रादेशिक जलक्षेत्र यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक समुद्री क्षेत्र में मछली-पालन, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, अतः वह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है. सरकार द्वारा बनाया गया कानून अर्थात् समुद्री मत्स्य पालन (विदेशी मछली पोतों का विनियमन) अधिनियम, 1981 विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी मछली पोतों के प्रवेश को विनियमित करता है और संबद्ध कंपनी के लिए पोत लाइसेंस तथा परमिट को अनिवार्य बनाता है. समुद्री मत्स्य पालन (विनियमन और प्रबंधन) विधेयक 2009 के जरिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस उद्योग को सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें छोटे मछली जहाजों को भी बड़े जहाजों के समान समझा गया है. एक केन्द्रीय कानून, तटीय नियमन जोन अधिसूचना अधिनियम, 1991 के जरिए तटवर्ती क्षेत्रों को चार जोनों में वर्गीकृत किया गया है, सीआरजैड-1 (पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र शामिल है), सीआरजैड-2 (तटरेखा और उसके निकटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं, जो पहले ही विकसित किए जा चुके हैं), सीआरजैड-3 (अविवादित क्षेत्र) और सीआरजैड-4 (अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और छोटे द्वीप), ताकि तटवर्ती क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके.  
 मत्स्य-पालन विज्ञान, कला और व्यापार का समिश्रण है, जिन्हें मिलाकर एक विषय का रूप दिया गया है. "मत्स्य विज्ञान" का अर्थ है जलकृषि, जिसके अंतर्गत मछलियों और अन्य जलीय संसाधनों में प्रजनन, आनुवंशिकी, जैवप्रौद्योगिकी, पोषण, खेती, बीमारियों का निदान, जलीय जंतुओं का चिकित्सा उपचार; मछलियों की करिंग, कैनिंग, प्रशीतन, मूल्यसंवर्धन, सहउत्पाद और कचरा उपयोग सहित मत्स्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन; मत्स्य-पालन संबंधी सूक्ष्म जीवविज्ञान; मत्स्य पालन संबंधी जैवरसायन; जीवविज्ञान, शरीर विज्ञान, गणना गतिविज्ञान, मत्स्य पर्यावरण सहित समुद्र विज्ञान, सरोवर-विज्ञान, पारिस्थितिकी सहित मत्स्य संसाधन प्रबंधन; उपस्कर एवं शिल्प इंजीनियरी, नौवहन और जहाजरानी सहित मत्स्य प्रौद्योगिकी; मत्स्य अर्थव्यवस्था और प्रबंधन तथा मत्स्य पालन विस्तार जैसे विषय आते हैं.  
**भारत में मत्स्य-पालन शिक्षा**  
 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक स्तरीय मत्स्य पालन पाठ्यक्रम शुरू किए गए ताकि मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तकनीकी दृष्टि से परमावश्यक सक्षम कार्मिक उपलब्ध कराए जा सकें.  
**पात्रता**  
 इन पाठ्यक्रमों में से अधिकतर के लिए पात्रता हेतु स्कूली शिक्षा में विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है. चूंकि जलकृषि में डिग्री, विज्ञान की डिग्री समझी जाती है, इसलिए 12वीं कक्षा तक विज्ञान का अध्ययन आवश्यक होता है.  
 बी.एफएससी पूरी करने के बाद उम्मीदवार एम.एफएससी (मास्टर आफ फिशरीज साइंस) और पीएच.डी कर सकते हैं. केन्द्रीय संस्थानों/कॉलेजों में फैलोशिप के साथ दाखिला लेने के लिए आपको आईसीएआर, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पात्रता परीक्षा, जेआरएफ-कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप-रु. 8600/- प्रतिमाह (एम.एफएससी के लिए) और एस.आर.एफ-वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप-रु. 12000/- प्रतिमाह (पीएच.डी के लिए) में बैठना होगा. बी.एफएससी पूरी करने के बाद प्रबंधन में अभिरुचि रखने वाले उम्मीदवार भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (अहमदाबाद और लखनऊ में कृषि-व्यापार प्रबंधन), एन.आई.ए.एम., जयपुर, मैनेज, हैदराबाद और राज्य स्तरीय प्रबंधन संस्थानों से एमबीए उत्तीर्ण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें संबद्ध संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी.  
**मत्स्य-विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक (बी.एफएससी) और स्नातकोत्तर (एम.एफएससी) उपाधियां और मत्स्य पालन में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले कॉलेज.**  
 ● विश्व उद्योग महाविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस) मत्स्यनगर, कनकनाड़ी (पो. आ.) मंगलौर-575002 कर्नाटक. स्थापना का वर्ष: 1969

● फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट तमिलनाडु.  
 ● वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी तूतुकुडी-628008, तमिलनाडु. स्थापना का वर्ष: 1977  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय, पाननगड, कोच्चि-682506, केरल. स्थापना का वर्ष: 1979  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी), रंगईलुंडा, बरहामपुर जिला, गंजम-760007, ओडिशा. स्थापना का वर्ष: 1981  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), शिरगांव, रत्नगिरी-415629, महाराष्ट्र. स्थापना का वर्ष: 1981  
 ● मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर जिला, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल-263145. स्थापना का वर्ष : 1985  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, धोली तिरहुट, कृषि महाविद्यालय (टीसीए), परिसर, मुजफ्फरपुर-पूसा रोड, धोली (मुजफ्फरपुर जिला) बिहार. स्थापना का वर्ष: 1986  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय, राहा-782103, नगांव जिला, असम. स्थापना का वर्ष : 1988  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय (जीएयू), राजेन्द्र भवन रोड, वेरावल-362265, गुजरात. स्थापना का वर्ष: 1991  
 ● मत्स्य-विज्ञान महाविद्यालय, आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरएयू), मुतुकुर-524344, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश. स्थापना का वर्ष: 1992  
 ● मत्स्य-विज्ञान महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल कृषि एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, (डब्ल्यूबीयूएफएस), मोहनपुर कैम्पस, बीसीकेवीवी (पो. आ.)-741252, नादिया जिला, पश्चिम बंगाल. स्थापना का वर्ष : 1995  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, लेम्बूचेरा-799210, अगरतला, त्रिपुरा. स्थापना का वर्ष: 1998  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334002, राजस्थान. स्थापना का वर्ष: 2003  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, एसके यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नालॉजी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 135, श्रीनगर (कश्मीर)- 190002 स्थापना का वर्ष: 2005  
 मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, महाराष्ट्र मवेशी एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर, तेलंगाखेड़ी नागपुर-440001. स्थापना का वर्ष: 2007  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, फैजाबाद -224229, उत्तर प्रदेश. स्थापना का वर्ष: 2007  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, महाराष्ट्र मवेशी एवं मत्स्य-विज्ञान विश्वविद्यालय, उदगिरि, जिला लातूर, 413517, महाराष्ट्र. स्थापना का वर्ष: 2007  
 ● मत्स्य पालन महाविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004. स्थापना का वर्ष: 2009  
 ● मत्स्य-पालन महाविद्यालय, कावर्धा, जिला काबर्धाम-491995, छत्तीसगढ़. स्थापना का वर्ष : 2010  
 ● सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट), देवन्ज रोड, कोच्चि-682016  
 यह संस्थान 3 नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है. ये हैं - मत्स्य विज्ञान-नॉटिकल साइंस (बी.एफएससी-एनएस) में स्नातक (4 वर्षीय पाठ्यक्रम), वेसल नेविगेटर कोर्स (वीएनसी) और मरीन फिटर कोर्स (एमएफसी).  
 मत्स्य-पालन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर (एम.एफएससी) उपाधि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान.  
 ● केन्द्रीय मत्स्य-पालन शिक्षण संस्थान, (समकक्ष विश्वविद्यालय). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वर्सावा, मुम्बई-400061  
**मत्स्य पालन संबंधी केन्द्र सरकार के संस्थान, जिनमें बी.एफएससी स्नातक और एम.एफएससी स्नातकोत्तर अपने-अपने डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद क्रमशः तकनीकी अधिकारी और वैज्ञानिक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षण**

**पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं:-**  
 ● सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टिट्यूट, कोच्चि, केरल.  
 ● केन्द्रीय मत्स्य-पालन प्रौद्योगिकी संस्थान, विलिंग्डन द्वीप, मत्स्यपुरी पो. आ., कोच्चि-682029, केरल.  
 ● सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर ऐक्वाकल्चर, कौशल्य गंगा, भुवनेश्वर-751020, ओडिशा.  
 ● नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, कैनाल रिंग रोड, दिलखुश, लखनऊ-226002.  
 ● सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ ब्रैकिश वाटर, ऐक्वाकल्चर, 75, संतोम हार्ड रोड, आरए पुरम, चेन्नै-28.  
 ● सेंट्रल इन लैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टिट्यूट, बैरकपुर-743101  
 ● सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, कोच्चि, केरल.  
 ● केन्द्रीय शीतजल मत्स्य-पालन अनुसंधान केन्द्र, भीमताल-263136.  
 ● नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, कैनाल रिंग रोड, दिलखुश, लखनऊ-226002.  
 ● केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, मैसूर, कर्नाटक.  
 ● राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोनापाउला, गोवा-403004.  
**मत्स्य-पालन में स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर**  
**● राज्य सरकार**  
 प्रत्येक राज्य सरकार में एक मत्स्य पालन विभाग होता है, जिसमें मत्स्य-पालन स्नातक मत्स्य-पालन निरीक्षक/अनुसंधान सहायक, मत्स्य-पालन उपनिरीक्षक, सहायक निदेशक, सहायक मत्स्य-पालन विकास अधिकारी (एफएडीओ)/मत्स्य-पालन विस्तार अधिकारी (एफईओ) और मत्स्य-पालन विकास अधिकारी (एफडीओ) के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. राज्य मत्स्य पालन विकास निगमों में वे उप प्रबंधक, प्रबंधन, परियोजना अधिकारी और मत्स्य-पालन अधिकारी के रूप में रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं. मछली किसान विकास एजेंसी (एफएफडीए) और खारा जल किसान विकास एजेंसी (बीएफडीए) में वे संबद्ध राज्यों के कार्यकारी अधिकारी के रूप में रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रत्येक राज्य के लिए पात्रता मानदंड अलग-अलग होते हैं, जिनके बारे में जानकारी संबद्ध लोक सेवा आयोगों से प्राप्त की जा सकती है.  
**● केन्द्र सरकार**  
 ऊपर वर्णित केन्द्रीय मत्स्य-पालन संस्थानों के अलावा आप केन्द्रीय एजेंसियों में तकनीकी अधिकारी और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), भारतीय तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसए) में सहायक निदेशकों तथा भारतीय मत्स्य-पालन सर्वेक्षण (एफएसआई), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), इंडियन नेशनल सेंट्रल फॉर ओशन एंड इन्फोरमेशन सर्विसेज (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद, आदि में तकनीकी अधिकारी के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं.  
**● शैक्षिक संस्थान**  
 डिग्री (बी.एफएससी) रखने वाले उम्मीदवार कुछ परम्परागत विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान सहायक, बायोकेमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, तकनीशियन आदि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एफएससी) रखने वाले उम्मीदवार मत्स्य पालन संकाय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए

आवेदन के पात्र हैं. आईसीएआर के अंतर्गत विभिन्न कृषि और मत्स्य-पालन संस्थानों में कृषि अनुसंधान सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है, जिसके बाद साक्षात्कार भी आयोजित किए जाते हैं.  
**● राष्ट्रीयकृत बैंक**  
 मत्स्य-पालन में स्नातक उम्मीदवार नाबार्ड में सहायक विकास अधिकारी, राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों के कृषि ऋण अनुभाग में ग्रामीण विकास अधिकारी, फील्ड अधिकारी, प्रबंधकों आदि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.  
**● निजी क्षेत्र**  
 उम्मीदवार समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात इकाइयों में प्रबंधक या अधिकारी के रूप में काम कर सकता है. **मछली प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावनाएं:**  
 देश में मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग भलीभांति विकसित है. हमारे यहां यूरोपीय संघ से अनुमोदित 236 प्रसंस्करण संयंत्र और 33 विशेष शीत भंडार केन्द्र (जिनमें केवल मत्स्य और मछली उत्पाद स्टोर किए जाते हैं) उपलब्ध हैं. इसके अलावा 215 आइस प्लांट्स, 481 थ्रिम्प पीलिंग प्लांट्स, 371 प्रशीतन संयंत्र, 495 शीत भंडारण इकाइयां, 7 कैनिंग प्लांट्स, 16 फिश-मील संयंत्र, 11 सुरिमि प्लांट्स और 1 आगर-आगर उत्पादन इकाई भी है. उपरोक्त इकाइयों में रोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध हैं.  
**मछली-पालन और अनुषंगी क्षेत्रों में रोजगार:**  
 अधिकतर मछली फार्म मत्स्य-पालन में स्नातक व्यवसायियों को फार्म प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं. इसके अलावा मत्स्य आहार की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है. देश में 33 फीड मिल्स हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 150000 टन प्रति वर्ष की है. यह क्षेत्र करीब 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और अनुषंगी गतिविधियों में 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलता है.  
**● स्वरोजगार**  
 मत्स्य-पालन में व्यवसायी स्नातकों की तकनीकी सक्षमता उन्हें जलजीव पालन क्षेत्र में सफल परामर्शदाता बनाती है. इनमें से ज्यादातर इस क्षेत्र में कार्यरत हैं. बी.एफएससी में व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार स्वयं का उद्यम लगा सकता है. वित्तीय सहायता नाबार्ड अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त की जा सकती है. मत्स्य उद्यम विकास की संभावना वाले अन्य क्षेत्रों में फीड मैनुफैक्चरिंग, फीड सेल्स, सजावटी मछली-पालन और प्रजनन, जलकृषि, हैचरी और बीज उत्पादन, मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन, जाल बुनाई, मछलियों की बीमारियों के निदान और कृषि उपकरणों के परीक्षण एवं आपूर्ति के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की स्थापना शामिल है.  
**● विदेश में रोजगार**  
 अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, चीन और यूरोप जैसे देशों में मत्स्य-पालन में उच्च शिक्षा के अवसरों के अलावा खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जलकृषि और प्रसंस्करण क्षेत्रों में मत्स्य-पालन व्यवसायियों की भारी मांग है. अनेक मत्स्य-पालन स्नातक जलकृषि, मत्स्य प्रसंस्करण निर्यात और आयात के क्षेत्र में विदेशों में व्यापार कर रहे हैं.  
**(लेखक मत्स्य-पालन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तूतुकुडी, तमिलनाडु में असोशिएट प्रोफेसर हैं. ई-मेल: drdsukumar@gmail.com)**

**रोज़गार समाचार**

**ईरा जोशी**  
 अतिरिक्त महानिदेशक  
**अनुराग मिश्रा**  
 निदेशक  
**दिलबाग सिंह**  
 उप निदेशक  
 (रोज़गार समाचार)  
**डॉ. ममता रानी**  
 संपादक

**के.पी. मणिलाल**  
 लेखा अधिकारी  
**सूर्यकांत शर्मा**  
 व्यापार व्यवस्थापक  
**विनोद कुमार मीणा**  
 संयुक्त निदेशक  
 (उत्पादन)  
**पी.के. मंडल**  
 वरिष्ठ कलाकार

**नलिनी रानी** संपादक (विज्ञापन)

संपादकीय कार्यालय  
**रोज़गार समाचार**  
 पूर्वी खण्ड IV  
 तल-5, रामकृष्णपुरम  
 नई दिल्ली-110066

ई-मेल : [newsedit@gmail.com](mailto:newsedit@gmail.com)  
 ग्राम : 'Rozgar' New Delhi

संपादकीय : 26163055  
 विज्ञापन : 26104284  
 टेलीफैक्स : 26193012  
 वितरण : 26107405  
 टैलीफैक्स : 26175516  
 प्रोडक्शन : 26177529  
 लेखा (विज्ञापन) : 26193179  
 लेखा (वितरण) : 26182079